लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4300

दिनांक 19.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

हथकरघा बुनकर

4300. **श्रीमती भारती पारधीः**
श्री अरविंद गणपत सावंतः
श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरेः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में हथकरघा बुनकरों का राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उनके उत्थान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा हथकरघा बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए वर्तमान में कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ग) क्या हथकरघा बुनकर पहचान-पत्र के अभाव में उक्त योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा स्थिति में सुधार लाने तथा हथकरघा बुनकरों को पहचान-पत्र उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हथकरघा बुनकरों को पहचान-पत्र जारी करने में काफी देरी हो रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) सरकार उक्त पहचान-पत्र के अभाव में बुनकरों को उक्त योजनाओं का लाभ उठाने से रोकने वाली समस्याओं का समाधान किस प्रकार कर रही है; और

(छ) वर्तमान में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत शामिल किए गए पात्र बुनकरों का प्रतिशत कितना है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क (और (ख): चौथी अखिल भारतीय हथकरघा संगणना 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में हथकरघा क्षेत्र में 26,73,891 हथकरघा बुनकर और 8,48,621 संबद्ध कामगार हैं। हथकरघा क्षेत्र में हथकरघा बुनकरों और संबद्ध कामगारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या का ब्यौरा **अनुबंध 1** में दिया गया है।

हथकरघा बुनकरों की आय बढ़ाने और उनके उत्थान के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा देश भर में निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है:

1. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम
2. कच्चा माल आपूर्ति योजना

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत पात्र हथकरघा एजेंसियों/बुनकरों को उन्नत करघे एवं सहायक उपकरण, सोलर लाइटिंग यूनिट्स की खरीद, वर्कशेड निर्माण, उत्पाद एवं डिजाइन विकास, तकनीकी एवं सामान्य अवसंरचना, घरेलू/विदेशी बाजारों में हथकरघा उत्पादों के लिए मार्केटिंग सहायता, बुनकर मुद्रा योजना के अंतर्गत रियायती ऋण और सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

कच्चा माल आपूर्ति योजना के तहत यह मंत्रालय लाभार्थियों के दरवाजे तक यार्न की ढुलाई के लिए परिवहन सब्सिडी प्रदान करता है और कॉटन हैंक यार्न, डोमेस्टिक सिल्क, ऊनी एवं लिनन यार्न तथा प्राकृतिक फाइबर के मिश्रित यार्न पर 15% मूल्य सब्सिडी प्रदान करता है।

(ग) से (च): चौथी अखिल भारतीय हथकरघा संगणना में शामिल किए गए हथकरघा कामगारों को या तो पहचान कार्ड प्रदान किया गया है या उन्हें ई-पहचान कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा दी गई है। चौथी अखिल भारतीय हथकरघा संगणना में छूटे हुए तथा नये बुनकरों और संबद्ध कामगारों के लिए नये पंजीकरण एवं मौजूदा बुनकरों के विवरणों को एडिट करने तथा ई-पहचान कार्ड डाउनलोड करने हेतु 28 जनवरी 2025 को एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया। ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त पंजीकरण के आधार पर, अन्य 15,000 (लगभग) हथकरघा कामगारों को ई-पहचान कार्ड के लिए मंजूरी प्रदान करने की गई है। अतः, एडिशन/डिलिशन, अपडेशन आदि कार्य एक गतिशील और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

(छ): महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई)/अभिसरण एमजीबीबीवाई, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत नामांकित हथकरघा बुनकरों और संबद्ध कामगारों की कुल संख्या इस प्रकार है:

राज्य	2014-15 से 2019-20 के दौरान एमजीबीबीवाई/ कन्वर्ज्ड एमजीबीबीवाई के तहत नामांकित लाभार्थी	2021-22 से 2024-25 के दौरान पीएमजेजेबीवाई/पीएमएसबीवाई के तहत नामांकित लाभार्थी
महाराष्ट्र	3,349	220
मध्य प्रदेश	1,827	1,746

अनुबंध 1

दिनांक 19.08.2025 को नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4300 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

चौथी अखिल भारतीय हथकरघा संगणना 2019-20 के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार
हथकरघा बुनकरों और संबद्ध कामगारों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हथकरघा बुनकरों की संख्या	संबद्ध कामगारों की संख्या	कुल हथकरघा कामगारों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1,27,662	49,785	1,77,447
2	अरुणाचल प्रदेश	77,600	17,016	94,616
3	असम	11,07,428	1,76,453	12,83,881
4	बिहार	7,216	5,631	12,847
5	छत्तीसगढ	14,077	7,426	21,503
6	दिल्ली	3,236	1,049	4,285
7	गोवा	22	4	26
8	गुजरात	10,179	422	10,601
9	हरियाणा	14,414	11,128	25,542
10	हिमाचल प्रदेश	13,211	477	13,688
11	लद्दाख सहित जम्मू-कश्मीर	15,784	7,544	23,328
12	झारखंड	12,364	10,133	22,497
13	कर्नाटक	27,175	27,616	54,791
14	केरल	15,480	6,604	22,084
15	मध्य प्रदेश	12,805	5,267	18,072
16	महाराष्ट्र	2,882	627	3,509
17	मणिपुर	2,12,481	12,203	2,24,684
18	मेघालय	41,221	1,553	42,774
19	मिजोरम	17,298	10,242	27,540
20	नागालैंड	35,950	7,534	43,484
21	ओडिशा	53,472	64,364	1,17,836
22	पुदुचेरी	908	782	1,690
23	पंजाब	631	338	969
24	राजस्थान	8,687	1,403	10,090
25	सिक्किम	632	65	697
26	तमिलनाडु	1,97,818	45,757	2,43,575
27	तेलंगाना	25,930	21,922	47,852
28	त्रिपुरा	1,11,927	25,712	1,37,639
29	उत्तर प्रदेश	1,30,778	60,179	1,90,957
30	उत्तराखंड	7,967	4,594	12,561
31	पश्चिम बंगाल	3,66,656	2,64,791	6,31,447
	संपूर्ण भारत	**26,73,891**	**8,48,621**	**35,22,512**

******